रेफरेन्स / एल.आर / 2832 / 2006 / डूंगरपुर
सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री आर.पी.मीना, उप राजकीय अभि0 प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **निर्णय** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 34 / 06 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 22–2–2006 के संदर्भ में पेश किया गया है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि मौजा गोरादा के हाल खसरा नंबर 1491 रकबा 5 बिस्वा, 1492 रकबा 5 बिस्वा एवं 1493 रकबा 3 बिस्वा गत सेटलमेन्ट संवत् 2008 में खसरा नंबर 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी। उक्त साबिक आराजी खसरा नंबर 845 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा में से हाल आराजी खसरा नंबर 1491 रकबा 5 बिस्वा, 1492 रकबा 5 बिस्वा एवं 1493 रकबा 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पिता / दादा सोमा की खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन / नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। इसके बावजूद भी उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम विधि विरूद्ध रूप से खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में उक्त भूमि की दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अतः रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0मु0नदी किस्म की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन / नियमन योग्य नहीं रहती है किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में नियमों के विपरीत अंकित कर दी गई। अतः उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये इन्द्राजात निरस्तनीय है। फलतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नंबर 1491 रकबा 5 बिस्वा, 1492 रकबा 5 बिस्वा एवं 1493 रकबा 3 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जाकर उक्त आराजी को पुनः राजस्व अभिलेख में गै0मु0नदी राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	